

पत्र संख्या-वनभूमि-50/2019-

व०प०, राँची, दिनांक-

प्रेषक

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- राँची-रड़गाँव NH-33 के 4/6 लेन चौड़ीकरण हेतु (पूर्व में अपयोजित 38.8032 हे०) के अतिरिक्त 2.301 हे० वनभूमि अपयोजन का अलग से प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या-FP/JH/ ROAD/38065/2019) के संबंध में।

प्रसंग :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक-FP/JH/ROAD/38065/2019/5109 दिनांक-13.12.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयक परियोजना को प्रदत्त स्टेज-II की स्वीकृति में लगाये गये शर्तों का प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-483 दिनांक-09.06.2022 से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार के निर्णयानुसार विषयक परियोजना में सन्निहित 2.301 हे० अधिसूचित वनभूमि विमुक्त की जाती है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(जलज कुमार)

उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वनभूमि-50/2019-

व०प०, राँची दिनांक-

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003/तकनीकी पदाधिकारी (वानिकी), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय, हरमू चौक, राँची-834002 को स्टेज-II के अनुपालन प्रतिवेदन (अनुलग्नक सहित) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वनभूमि-50/2019-

व०प०, राँची दिनांक-

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची/परियोजना निदेशक, NHA, मकान सं०-B-402, रोड न०-4C, अशोक नगर, राँची, झारखण्ड-834001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वनभूमि-50/2019-

2083

व०प०, राँची दिनांक-

25/07/2022

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, वनरीक्षण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय Website "forest.jharkhand.gov.in" पर Upload करने हेतु प्रेषित।

उप परामर्शी।